



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224199
CG-DL-E-05012021-224199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]
No. 01]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2021/पौष 14, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2021/PAUSHA 14, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. 2020/ई एंड आर/1(3)/12.—सर्व साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने पूर्व तट रेलवे के संबलपुर मंडल और खुरदा रोड मंडल के क्षेत्राधिकार को परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है। यह क्षेत्राधिकार अब जरापदा और केरेजंगा के बीच कि.मी. 140.400 पर निर्धारित किया गया है, परिणामस्वरूप संबलपुर की ओर 13.600 कि.मी. शिफ्ट हो गया है।

क्षेत्राधिकार में उक्त परिवर्तन होने से, केरेजंगा स्टेशन, संबलपुर मंडल से खुरदा रोड मंडल में स्थानांतरित हो जाएगा और अंतर-मंडलीय इंटरचेंज पाइंट भी अंगुल से केरेजंगा शिफ्ट हो जाएगा।

उक्त क्षेत्राधिकार में परिवर्तन 15 जनवरी से लागू होंगे।

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2021

No.2020/E&R/1(3)/12.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to change the jurisdiction of Sambalpur(SBP) and Khurda Road (KUR) Divisions of East Coast Railway. The jurisdiction is now fixed at Km. 140.400 between Jarapada and Kerejanga, resulting in a shift of 13.600 Kms towards Sambalpur.

With above jurisdictional change, Kerejanga station will be transferred to KUR Division from SBP Division and also shift the inter-divisional interchange point from Angul to Kerejanga.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 15th January 2021.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secy.